

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०- 5/निदे० (छात्रवृत्ति प्रवे०)-200-27/2018- 139

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक - 31/08/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में संकल्प संख्या-1140 दिनांक 10.05.2018 एवं संकल्प संख्या-1012 दिनांक-21.02.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति मद में ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम मांग सं०-44 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषयशीर्ष-0101.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्रकोड-44-2225022770101 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में निदेशालय स्तर पर "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के लिए संचालित बैंक खाता में संधारित करेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

4-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी विभागीय संकल्प संख्या-1140 दिनांक 10.05.2018 एवं संकल्प संख्या-1012 दिनांक-21.02.2024 तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली योजना पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5-इस योजना के लिए ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच करने के पश्चात् त्रुटिरहित सत्यापित, अनुमोदित एवं स्वीकृत समेकित सूची की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016} एवं समय-समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होनेवाले अभ्यर्थियों के बैंक एकाउंट में राशि का अन्तरण करेंगे।

6-राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-2193 दिनांक 31.03.2020 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

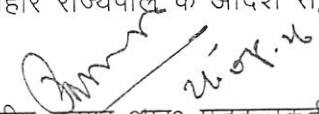
7-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8-इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 5/निदे0(छात्रवृत्ति प्रवे0)-200-27/2018-के पृ0- 181 /टि0 पर प्राप्त है।

9-स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

10-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 31/08/2026

ज्ञापांक-5/निदे0 (छात्रवृत्ति प्रवे0)-200-27/2018- 139

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 31/08/2026

ज्ञापांक-5/निदे0 (छात्रवृत्ति प्रवे0)-200-27/2018- 139

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिचाई भवन, पुराना सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 31/08/2026

ज्ञापांक-5/निदे0 (छात्रवृत्ति प्रवे0)-200-27/2018- 139

प्रतिलिपि:-प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक(मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक(मु0)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में)/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 31/08/2026

ज्ञापांक-5/निदे0 (छात्रवृत्ति प्रवे0)-200-27/2018- 139

प्रतिलिपि:- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्ली/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।